उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या–160/पारे0अनु0–(04)/पाट्राकालि/2023–11(1)/19 टी0सी0, दिनांकः 13 मार्च, 2023

समस्त निदेशक,
समस्त मुख्य अभियन्ता,
(पारेषण/जानपद),
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0,
लखनऊ/आगरा/मेरठ/झाँसी/गोरखपुर/प्रयागराज।

विषय– **कारपोरेशन कार्मिकों द्वारा पदोन्नति से इन्कार (Forgo) किये जाने सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण हेतु कार्यवाही के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में कार्यरत कार्मिकों द्वारा पदोन्नति से इन्कार करते हुए पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने के कतिपय मामले संज्ञान में आते रहे हैं अथवा एक बार पदोन्नति से इन्कार किये जाने के पश्चात् पुनः पदोन्नति की माँग की जाती रही है। इस प्रकार के प्रकरणों के निस्तारण हेतु कोई स्थापित व्यवस्था न होने के कारण नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्णय लेने में असहजता होती रही है।

2. इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के कार्मिक अनुभाग–01 के पत्र संख्या–14/2022/सैतालीस का०–1–2022/13(4)/2022, दिनांक 06.10.2022 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि कारपोरेशन के किसी भी कार्मिक द्वारा पदोन्नति से इन्कार किये जाने के मामले में तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

संलग्नक–**यथोक्त**,

भवदीय,

(सत्यार्थ गंगवार)
उप सचिव (पारेषण–तृतीय)

संख्याः 160 (1)–पारे0–04/पाट्राकालि–2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
6. उप महाप्रबन्धक (लेखा, प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप सचिव (पारेषण–प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
8. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब–साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

Satyarth

(सत्यार्थ गंगवार)
उप सचिव (पारेषण–तृतीय)

संख्या- 14/2022/सैतालीस-का-1-2022/13(4)/2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1 | लखनऊः दिनांक 06 अक्टूबर, 2022

विषयः- सरकारी सेवकों द्वारा पदोन्नति से इन्कार(Forgo) किए जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय सरकारी सेवकों द्वारा पदोन्नति से इन्कार(Forgo) करते हुए पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है अथवा एक बार पदोन्नति से इन्कार(Forgo) किए जाने के पश्चात पुनः पदोन्नति की मांग की जाती है। इस प्रकार के प्रकरणों में शासन की कोई स्थापित व्यवस्था न होने के कारण नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्णय लेने में असहजता की स्थिति का सामना करना पड़ता हैं।

2. अतः इस संबन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी भी सरकारी सेवक द्वारा पदोन्नति से इन्कार(Forgo) किए जाने के मामलों में, निम्नवत् व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :-

(क) पदोन्नति से इन्कार करने वाले संबंधित सरकारी सेवक से इस आशय का विधिवत् शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि वह भविष्य में पुनः कभी भी अपनी पदोन्नति की मांग नही करेगा।

(ख) एक बार पदोन्नति से इन्कार(Forgo) करने के पश्चात संबंधित सरकारी सेवक को भविष्य में होने वाली पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित नही किया जाएगा।

(ग) ऐसे सरकारी सेवक जिनके द्वारा पदोन्नति से इन्कार(Forgo) किया जाता है, के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति से इन्कार करने के कारणों का विश्लेषण करते हुए स्वविवेक से यह निर्णय लेगें कि उन्हे भविष्य में, जनहित में, संवेदनशील/महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाए अथवा नहीं।

भवदीय

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट [illegible] से सत्यापित की जा सकती है ।